बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः– 6बी0 / प्राक्क0–102 / 2022 - 710 पटना–15, दिनांक– 13/8/24

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय–**राज्य योजना के तहत भागलपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम के प्रखण्ड–जगदीशपुर, ग्राम पंचायत–जगदीशपुर के वार्ड सं0–4, 8 एवं ग्राम पंचायत–चाँदपुर के वार्ड सं0–2 में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप जलापूर्ति योजना (फ्लोराईड गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के निर्माण एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु 235.764 लाख रू0 (दो करोड़ पैंतिस लाख छिहत्तर हजार चार सौ रूपये मात्र) की राशि पर पुनरीक्षित स्वीकृति।**

आदेशः–राज्य योजना के तहत भागलपुर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम के प्रखण्ड–जगदीशपुर, ग्राम पंचायत– जगदीशपुर के वार्ड सं0–4, 8 एवं ग्राम पंचायत– चाँदपुर के वार्ड सं0–2 में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप जलापूर्ति योजना (फ्लोराईड गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के निर्माण एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) 235.764 लाख रू0 (दो करोड़ पैंतिस लाख छिहत्तर हजार चार सौ रूपये मात्र) की राशि पर पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–6/ ग्रा0ज0–1–101/2016–691, दिनांक–03.03.2016 द्वारा प्रखण्ड–जगदीशपुर, ग्राम पंचायत– जगदीशपुर के वार्ड सं0–4, 8 एवं ग्राम पंचायत–चाँदपुर के वार्ड सं0–2 में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 128.400 लाख रू0 (एक करोड़ अठाईस लाख चालीस हजार रूपये) मात्र पर प्रदान की गई है।

3. इस योजना से अच्छादित प्रखण्ड–जगदीशपुर, ग्राम पंचायत– जगदीशपुर के वार्ड सं0–4, 8 एवं ग्राम पंचायत–चाँदपुर के वार्ड सं0–2 के सभी घरों को नल जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत योजना के तहत प्रावधानित अवयवों के अतिरिक्त 02 अदद नये नलकूप (150 MM X 100MM X 90 M Deep) का निर्माण कार्य, 02 अदद का जलशोधन संयंत्र की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन, 02 अदद स्टील स्टेजिंग का निर्माण कार्य, 02 अदद क्लोरीनेटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं विभिन्न ब्यास के 3457 मीटर अतिरिक्त HDPE Pipe बिछाकर 429 अदद गृह जल संयोजन कार्य एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) कार्य किया जाना है। जिस पर कुल व्यय 235.764 लाख रू0 (दो करोड़ पैंतिस लाख छिहत्तर हजार चार सौ रूपये मात्र) संभावित है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना निर्माण मद का व्यय बजट का (I)मुख्य शीर्ष – 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0132–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–4215011020132–विषय शीर्ष –0132.53.01–मुख्य निर्माण कार्य (II)मुख्य शीर्ष – 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग संख्या –36 – उपशीर्ष – 0114– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–4215017890114 – विषय शीर्ष –0114.53.01–मुख्य निर्माण कार्य (III)मुख्य शीर्ष – 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796– जनजातिय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0119– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) –विपत्र कोड – 36–4215017960119 – विषय शीर्ष – 0119.53. 01–मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना पर होने वाला परिचालन एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम– मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव–सात निश्चय–2 विपत्र कोड – 36–2215011020107–विषय शीर्ष –0107–27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मत मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

आदेश 13/8/24

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी भागलपुर कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

8 इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

9 जिन मदों में 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उन मदों के लिए अनुसूचित दर एवं एकरारनामा की दर में से जो दर कम होगा, वहीं दर अतिरिक्त मात्रा (प्रावधानित मात्रा से 20 प्रतिशत ज्यादा पर) के भुगतान हेतु मान्य होगा।

10. जिन मदों में बढ़ोतरी 50 प्रतिशत से ज्यादा है उन मदों की 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का भुगतान संबंधित अधीक्षण अभियंता के भौतिक सत्यापन एवं विशिष्ट भुगतान आदेश के बाद ही किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता अतिरिक्त मात्रा के 50 प्रतिशत तक का ही भुगतान अपने स्तर से करेंगे।

11 इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0 दिनांक–31–05–17 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

15. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

16. योजना का क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति के उपरांत योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वर्ष 2024–25 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

जावेद 13/8/24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक –6बी0/प्राक्क0–102/2022-710 पटना –15 ,दिनांक :– 13/8/24

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, भागलपुर /कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा–12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

जावेद 13/8/24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव